न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड म०प्र० (समक्षः पी०सी०आर्य)

1

विशेष डकैती प्रकरण<u>कमांकः 12/2015</u> संस्थित दिनांक—30.12.2008 फाईलिंग नंबर—230303001632008

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०) —————<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

- 1. राकेश पुत्र ओमप्रकाश गुर्जर निवासी वार्ड नंबर—5 गोहद**उपस्थित आरोपी**
- फक्की उर्फ रामचित्र गुर्जर पुत्र हािकमसिंह गुर्जर निवासी केमोखरी थाना बरासो हाल वार्ड नंबर—5 संतोष नगर गोहद ———फरार अभियुक्त
- 3. रामरतन पुत्र पानसिंह गुर्जर उम्र 27 साल विवासी ग्राम बनीपुरा थाना गोहद जिला भिण्ड
- 4. फिरोजखॉन पुत्र नजीरखान उम्र 35 साल निवासी मस्जिद के पास मालनपुर जिला भिण्ड
- पूरनसिंह पुत्र रामदीन उम्र 52 साल निवासी समता नगर मालनपुर थाना मालनपुर
- 6. नरेन्द्र पुत्र गोविन्दसिंह आयु 38 साल निवासी गोवर्धन कॉलोनी ग्वालियरपूर्व से निराकृत आरोपीगण

राज्य द्वारा श्री भगवान सिंह बघेल विशेष लोक अभियोजक आरोपी राकेश द्वारा श्री आर.पी.एस. गुर्जर अधिवक्ता।

-::- <u>निर्णय</u> 👍::-

(आज दिनांक 11 फरवरी 2016 को खुले न्यायालय में घोषित)

अभियुक्त राकेश के विरुद्ध धारा 395 भा०द०वि० सहपिठत धारा—11,
एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक
23/10/2008 को शाम 4:15 बजे जी—टी०व्ही० तिराहा अंतर्गत थाना मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में अन्य पांच अपराधियों के साथ संयुक्त रूप

2

से मुकेश के आधिपत्य से उसका वाहन मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-07जी-3879 में रखे हुए पांच टन प्लास्टिक दाना कीमती करीब पांच लाख रूपये की डकैती की और उसे अन्य वाहन मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-07जी-4308 में लादकर ले गये।

- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक 23/10/2008 को घटनास्थल जी—टी0व्ही0 तिराहा मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना कमांक—एफ— 91.07.81 बी—21 दिनांक 19/05/1981 की अनुसूची के कॉलम कमांक—2 के अनुसार मध्यप्रदेश डकैती और व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 के प्रभावशील क्षेत्राधिकार के अंतर्गत था। तथा यह भी निर्विवादित है कि प्रकरण में आरोपी फक्की उर्फ रामचित्र के विरुद्ध धारा—299 दप्रसं के अंतर्गत फरारी कार्यवाही कर उन्हें फरार घोषित किया गया है। तथा आरोपीगण रामरतन, फिरोज खां, पूरनिसंह, नरेन्द्रसिंह के विरुद्ध मामला दिनांक—14 दिसंबर 2015 को निराकृत हो चुका है जिसमें आरोपीगण को दोषमुक्त किया जा चुका है।
- अभियोजन के अनुसार घटना इस प्रकार बताई गई है कि दिनांक 23 / 10 / 2008 को शाम तीन बजे फरियादी मुकेश किरार निवासी गुठीना कंपनी ट्रान्स्पोर्ट ग्वालियर से अपनी कर्माक–एम0पी0–07जी–3879 में प्लास्टिक के दाना की दो सौ कटटे भरकर सुप्रीम फैक्ट्री मालनपुर आ रहा था। जैसे ही शाम सवा चार बजे रैन्वेक्सी फैक्ट्री 🍱 के पास पहुंचा तो उसे नरेन्द्र यादव, रामरतन गूर्जर, राकेश गूर्जर हीरोहोण्डा स्प्लेण्डर गाडी से आये और उसकी गाडी रोक दी और उसके सिर में कोई भारी चीज मारी जिससे वह बेहोश हो गया। जब होश आया तो ग्राम बनीपुरा के पास पुरन प्रजापति व उसका ड्रायवर फिरोजखॉ, तथा फंकी गुर्जर उसकी गाडी से अपनी टाटा–407 नंबर–एम0पी0–07–जी–4308 में दाना की बोरी लादते दिखे। उसने मना किया तो उसने उनकी लात घूंसों से मारपीट की। व उसे गाडी में डालकर इकहरा मालनपुर में पटककर चले गये।
- 4. उक्त आशय की रिपोर्ट थाना प्रभारी मालनपुर को करने पर अप०क0—132/2008 पर धारा—394 भा०द०वि० एवं 11/13 एम०पी०डी०व्ही०पी०के० एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध किया गया एवं जप्ती, गिरफ्तारी, कथन व मेमोरेण्डम आदि की कार्यवाही कर संपूर्ण विवेचना उपरान्त अभियोग पत्र न्यायालय में आरोपीगण के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोग पत्र एवं संलग्न प्रपत्रों के आधार पर अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 395 भा0द0वि0 सहपिवत धारा—11, 13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप लगाये जाने पर उन्होंने जुर्म अस्वीकार किया। धारा 313 जा0 फौ0 के तहत लिये गये अभियुक्त परीक्षण में अभियुक्तगण ने झूंटा फंसाये जाने का आधार लिया है। आरोपीगण की और से बचाव में किसी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया गया है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-

1— क्या आरोपी राकेश ने दिनांक 23.10.08 के सुबह करीब 4.15 बजे जी—टी0व्ही0 तिराहा थाना मालनपुर के क्षेत्रान्तर्गत डकैती प्रभावित क्षेत्र होते हुए अन्य फरार सह अभियुक्तों के साथ मिलकर पांच की संख्या में संयुक्त रूप से फरियादी मुकेश के आधिपत्य की मेटाडोर कमांक— एम0पी0—07जी—3879 में पांच टन प्लास्टिक दाना कीमती करीब पांच लाख रूपये ले जाते समय रास्ते में उसकी लूट करके अन्य वाहन क0— एम0पी0—07—जी—4308 में माल भरकर ले जाकर लूट कारित की ?

3

2. क्या उक्त डकैती की घटना में आरोपी राकेश के द्वारा फरियादी मुकेश की मारपीट कर उपहति भी कारित की गई?

<u>-::-निष्कर्ष के आधार</u> :-

विचारणीय प्रश्न कमांक- 1 एवं 2 का निराकरण

- 7. उपरोक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण साक्ष्य की पुनरावृत्ति से बचने के लिये एवं सुविधा की दृष्टि से एकसाथ किया जा रहा है।
- 8. प्रकरण में विचारण के दौरान परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी हरिओम अ०सा०–1 व फरियादी मुकेश अ०सा०–5 हैं इसलिये सर्वप्रथम उनकी अभिसाक्ष्य का मूल्यांकन किया जाना उचित होगा।
- 9. हरिओम दीक्षित अ०सा०–1 ने अपने अभिसाक्ष्य में यह बताया है कि सन 2008 की बात है। उसकी मेटाडोर भाड़े पर माल ढोने का काम करती है जिसका नंबर-एम0पी0-07जी-3879 हैं जिसे मुकेश किरार चालक चलाता है। लेकिन घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। यदि दिनांक 23-10-08 को उसकी उक्त मेटाडोर में रिलायंस ट्रांसपोर्ट कंपनी ग्वालियर से प्लास्टिक के दाने के कट्टे सुप्रीम फैक्ट्री मालनपुर के लिये उसका चालक ले गया हो तो उसे जानकारी नहीं है। उसने इस बात से इन्कार किया है कि दिनांक 24/10/2008 को सुबह सात आठ बजे उसे चालक मुकेश ने ऐसी कोई सूचना दी थी कि कल शाम को वह मेटाडोर लेकर गया था और मालनपुर फैक्ट्री के पास रास्ते में नरेन्द्र यादव, रामरतन, राकेश गुर्जर जबरन रोककर उससे मेटाडोर ले गये। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि चालक ने उसे यह भी बताया था कि बनीपुरा में पूरन प्रजापति और उसका ड्रायवर फिरोजखाँ व फक्की गुर्जर मेटाडोर कमांक-एम0पी0-07जी-4308 में उसका माल पल्टी कर रहे थे। उसने इस बात से भी इन्कार किया है कि 9ण ड्रायवर मुकेश के द्वारा जानकारी दिये जाने पर उसने मुकेश को घटना की रिपोर्ट करने के लिये कहा था। उक्त साक्षी ने इस बात से भी इन्कार किया है कि घटना के संबंध में उसने पुलिस को प्र0पी0–1 का ए से ए भाग का कथन 'दिनांक 23.11.08 ————थाने पर रिपोर्ट कर दो,' लिखाया था बल्कि स्वतः में यह कहा है कि उसकी चालक मुकेश से घटना के बारे में कोई बातचीत नहीं हुई इसलिये वह रिपोर्ट करने को कैसे कहता। लेकिन यह स्वीकार किया है कि मेटाडोर को पुलिस ने जप्त किया था जो उसे न्यायालय के आदेश से सुपुर्दगी पर मिला है।

- 10. उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य का कोई खण्डन नहीं हुआ है इसलिये अ0सा0—1 के अभिसाक्ष्य से केवल इस बात की पुष्टि होती है कि वर्ष 2008 में उसके पास मेटाडोर क्रमांक—एम0पी0—07 जी—3879 थी और उसका ड्रायवर मुकेश किरार था। लेकिन मुकेश के साथ मेटाडोर और उसमें भरे माल की कोई लूट / डकैती रास्ते में हुई थी, इस बात की पुष्टि उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से नहीं होती है। जबिक कथानक मुताबिक बताई गई घटना में इस आशय का ह ाटनाक्रम बताया गया है कि उक्त मेटाडोर से फरियादी मुकेश किरार दिनांक 23/10/2008 के शाम करीब तीन बजे रिलायन्स ट्रांसपोर्ट ग्वालियर से 200 कट्टे प्लास्टिक की दाना भरकर भाड़े से सुप्रीम इण्डस्ट्रीज मालनपुर ले जा रहा था तब रास्ते में नरेन्द्र यादव, रामरतन, राकेश गुर्जर के द्वारा लूट कर मुकेश को बेहोश किया गया और जब मुकेश को होश आया तो ग्राम बनीपुरा में था तब पूरन प्रजापित और उसका ड्रायवर फिरोज खॉ तथा फक्की गुर्जर अपने मेटाडोर क्रमांक-एम0पी0-07जी-4308 में माल पलटी कर रहे थे। मना करने पर उसकी मारपीट कर इकाहरा में डालकर लाये और वहीं पर डालकर भाग गये थे जिसकी रिपोर्ट करने के लिये हरिओम ने मुकेश को कहा था। इस घटनाकम का अ०सा०–1 समर्थन नहीं करता है।
- 11. 🗥 प्रकरण में फरियादी मुकेश अ०सा०-५ के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में घटना का आंशिक रूप से ही समर्थन किया गया है। उक्त साक्षी न्यायालय में परीक्षण 🛂के समय प्रश्नों को सूनकर संकेतों के माध्यम से उत्तर बताने में समर्थ पाया गया जिसका इस आधार पर परीक्षण हुआ कि साक्षी के साथ उसका मौसेरा भाई दशरथसिंह भी आया था जिसने यह जानकारी दी थी कि मुकेश उसके साथ ही रहता है और मुकेश के खानापान, देखरेख की वही व्यवस्था करता है और 6–7 साल पहले मुकेश बीमार होकर लकवाग्रस्त हो गया था इसके बाद से वह बोलने में असमर्थ हो गया है लेकिन बात सुनकर सोचकर इशारों में जवाब दे देता है इस कारण संकेतों के आधार पर साक्षी साथ आये उसके मौसेरे भाई के संकेतों को सोचकर जवाब देने में सहायक के रूप में सक्षम मानते हुए उसका परीक्षण प्रश्न उत्तरों के माध्यम से किया गया जिसमें साक्षी द्वारा संपूर्ण अभिसाक्ष्य में आरोपी को पहचानने से इन्कार किया गया है और इतना बताया है कि उसके साथ करीब सात वर्ष पहले घटना घटी थी। जब वह चार पहिया माल वाहन का 9ण ड्रायवर था। वाहन का नंबर और मालिक का नाम बताने में तथा घटना की दिन तारीख, समय बताने में असमर्थता व्यक्त करते हुए यह कहा है कि दिन में चार बजे का समय था। वह अपनी गाड़ी में प्लास्टिक के दाने के बोरे भरकर ग्वालियर से मालनपुर लाया था। गाडी में करीब छः लाख रूपये का माल भरा था। रास्ते में गोले का मंदिर ग्वालियर से पिण्टो पार्क के बीच में पांच लोगों के द्वारा उससे लिफ्ट मांगी गई थी जिन्हें उसने गाड़ी में बिठा लिया था। उनका कद, काठी, हुलिया, उम्र चेहरा आदि बताने में असमर्थता व्यक्त करते हुए उसने मुंह कपड़े की साफी से बंधा होना बताते हुए यह कहा है कि जो लोग गाड़ी में बैठे थे उन्होंने उसकी मारपीट भी की थी जिससे उसके दोनों हाथों में, कोहनी, कलाई और पंजे में चोटें आई थीं जो वह हाथ मुक्कों से मारना बताते हुए सिर, कंधे, पेट व पीठ में चोटें बताता है जिनके कारण वह बेहोश हो जाना भी कहता है। उसने यह भी स्पष्ट किया है कि बेहोश हो जाने के बाद गाड़ी में रखे माल

5

को कौन ले गया, इसके बारे में उसे जानकारी नहीं है और उसे दो घण्टे बाद मालनपुर में होश आया था। उसका यह भी कहना है कि होश आने पर उसने अपने घरवालों को मोबाईल से सूचना दी थी फिर उसके बाद थाने पर रिपोर्ट को गया था।

- 12. अ०सा०-५ ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र०पी०-13 की एफ०आई०आर० और प्र०पी०-14 के नक्शामीका पर अपने हस्ताक्षर करना बताते हुए पुलिस को बयान देना भी कहा है। किन्तु इस बात से वह इन्कार करता है कि आरोपीगण को वह पहले से जानता था और उसने पुलिस को आरोपियों के नाम,विल्दियत, पते बताने से भी इन्कार करता है। आरोपीगण से समझौता होने से भी वह इन्कार करता है तथा उसने प्रश्न क0-33 के उत्तर में यह भी कहा है कि आरोपीगण ने उसके साथ कुछ नहीं किया न आरोपीगण उसे ले गये। प्र०पी०-15 का भी कथन संकेतों के माध्यम से सुझाव द्वारा पूछे जाने पर उसने समर्थन नहीं किया है।
- 13. 🔪 इसे प्रकार से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फरियादी मुकेश अ०सा०–५ के द्वारा अपने अभिसाक्ष्य में केवल इस आशय की पृष्टि की गई है कि करीब सात साल पहले जब वह माल वाहन का ड्रायवर था और प्लास्टिक का दाना ग्वालियर से लेकर जा रहा था तब रास्ते में उसके साथ पांच लोगों के द्वारा लिफट मांग कर उसके साथ लूट की घटना कारित की गई और उसकी मारपीट भी की गई जिसके बारे में उसने प्र0पी0–13 की एफ0आई0आर0 लेखबद्ध कराई और प्र0पी0-14 का पुलिस ने नक्शामीका बनाया था। किन्तु प्र0पी0—15 का कथन देने से वह इन्कार करता है। उक्त साक्षी का कोई मेडिकल परीक्षण कराया जाना कथानक में भी नहीं आया है। लेकिन वह प्र0पी0–13 की एफ0आई0आर0 में आरोपीगण के नाम लूट करने वालों को लिखाने से इन्कार करता है और उसके मुताबिक पुलिस ने स्वयं लिखी होगी। इस तरह से उक्त साक्षी का अभिसाक्ष्य आरोपीगण के विरूद्ध नहीं है और उससे केवल इस आशय की ही पुष्टि होती है कि उसके साथ कोई लूट की घटना कारित हुई थी किन्तु वह आरोपीगण के द्वारा की गई थी, ऐसा उक्त साक्षी के अभिसाक्ष्य से कतई प्रमाणित नहीं है। जबिक प्र0पी0-13 की एफ0आई0आर0 मुताबिक नामजद रिपोर्ट घटना के अगले दिन ही की गई, जिसमें बांधकर ले जाना, रास्ते में बेहोश होना और होश में आने के बाद वाहन स्वामी को सूचना देते हुए उसके निर्देश पर रिपोर्ट करना बताया है जिसका वाहन स्वामी भी समर्थन नहीं करता है। ऐसी स्थिति में प्रकरण में जप्ती मेमोरेण्डम की कार्यवाही अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। क्योंकि प्रकरण में आरोपीगण को अनुसंधान के दौरान उनके गिरफ्तार होने के बाद दिये गये मेमोरेण्डम कथनों की जानकारी के आधार पर हुई जप्ती पर से भी अभियोजित किया गया है।
- 14. अ०सा०–5 की अभिसाक्ष्य से प्र०पी०–13 की एफ०आई०आर० का संपूर्ण वृतांत प्रमाणित नहीं होता है। एफ०आई०आर० लेखक आत्माराम शर्मा अ०सा०–7 ने अपने अभिसाक्ष्य में केवल इतना कहा है कि दिनांक 24.10.08 को वह थाना प्रभारी थाना मालनपुर के पद पर पदस्थ था। तब मुकेश किरार की रिपोर्ट पर से उसने आरोपीगण के विरूद्ध अप०क०–132/08 धारा–394 भा०द०वि० एवं

11 / 13 डकैती अधिनियम के अंतर्गत पंजीबद्ध किया था जिसमें टाटा–407 और प्लास्टिक के दाना की लूट का अपराध बताया गया था जिसकी उसने प्र0पी0–13 की एफ0आई0आर0 लिखी थी और फिर फरियादी मुकेश की मौजूदगी में घटनास्थल पर जाकर उसी दिन फरियादी की निशादेही पर प्र0पी0-14 का नक्शामीका बनाया था। तत्पश्चात फरियादी का कथन भी लिया था। शेष विवेचना ए०एस०आई० सुरेश शर्मा को सौंपी थी और यह भी कहा है कि अपराध दर्ज करने का इन्द्राज रोजनामचा में भी किया है। रोजनामचासान्हा की नकल प्रकरण में पेश नहीं है। इस बात से इन्कार किया है कि फरियादी ने किसी व्यक्ति के बहकावे में आकर आरोपीगण के विरूद्ध नामजद रिपोर्ट की थी बल्कि फरियादी द्वारा पूर्णतः होश में रिपोर्ट करना बताया गया है और इस बात से इन्कार किया है कि फरियादी का कथन उसने अपनी ओर से लिख लिया तथा गलत एफ0आई0आर0 दर्ज की। इस तरह से एफ0आई0आर0 प्र0पी0-13 के संबंध में अ0सा0-5 व 7 दोनों के अभिसाक्ष्य में गंभीर स्वरूप के तात्विक विरोधाभाष हैं जिससे एफ0आई0आर0 का वृतांत अ0सा0-7 के अभिसाक्ष्य से भी प्रमाणित नहीं माना जा सकता है और अ0सा0-7 की अभिसाक्ष्य वगैर फरियादी के कथन के विश्वास योग्य नहीं है। दोनों की अभिसाक्ष्य में आये तथ्यों के आधार पर केवल लूट की घटना पांच लोगों के द्वारा किया जाना तो माना जा सकता है किन्तु आरोपी राकेश के द्वारा अन्य आरोपियों के साथ मिलकर ही लूट की गई, ऐसा संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है। इसलिये जप्ती मेमोरेण्डम के आधार पर सावधानीपूर्वक मूल्यांकन किया जाना अपेक्षित हो जाता है।

15. प्रकरण में विवेचना के दौरान विचाराधीन आरोपीगण को गिरफतार किये जाने, उनके मेमोरेण्डम कथन लिया जाना और मेमोरेण्डम कथनों में आई जानकारी के आधार पर जप्ती की कार्यवाही होना बताया गया है जिससे संबंधित साक्षी उपनिरीक्षक सुरेश शर्मा अ०सा०–६ तथा कृष्ण कुमार अ०सा०–2 और प्रभात दुबे अ0सा0-8 हैं जिनमें से कृष्ण कुमार अ0सा0-2 व प्रभात दुबे अ0सा0-8 ने अपने अभिसाक्ष्य में अभियोजन कथानक और घटनाकृम का कोई समर्थन नहीं किया है। दोनों ने ही इस बात से इन्कार किया है कि उनके सामने आरोपीगण को पुलिस ने गिरफ्तार किया था या पुलिस को उनके सामने किसी आरोपी ने कोई जानकारी दी थी या पुलिस ने उनके सामने किसी आरोपी से कोई सामान जप्त किया। अर्थात् दोनों साक्षीगण पक्ष विरोधी रहे हैं। कृष्ण कुमार अ०सा०–२ ने अपने अभिसाक्ष्य में प्र0पी0—3 लगायत 5 एवं प्र0पी0—7 व 8 पर अपने हस्ताक्षर ए से ए भाग पर तथा प्रभात दुबे ने सी से सी भाग पर अवश्य बताये हैं किन्तु हस्ताक्षरों के संबंध में उनका कहना है कि पुलिस ने थाने पर उनके हस्ताक्षर करवा लिये थे जो पुलिस के कहने से किये गये थे। उसमें कुछ लिखा नहीं था और पुलिस ने पढ़ने का मौका भी नहीं दिया। दोनों साक्षीगण प्र0पी0—2 लगायत 10 के दस्तावेजों के साक्षी रहे हैं जिनमें विचाराधीन आरोपी नरेश का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0-3, फिरोज का गिरफतारी पत्रक प्र0पी0-4 तथा पूरन का गिरफ्तारी पत्रक प्र0पी0–5 है। तथा आरोपीगण नरेन्द्र, पूरन व फिरोज का संयुक्त रूप से लिया गया मेमोरेण्डम कथन धारा—27 साक्ष्य विधान का प्र0पी0—7 है जिसके आधार पर प्र0पी0–8 के जप्ती पत्रक मृताबिक मेटाडोर क्रमांक–एम0पी0–07 जी–4308 को 77 कटटा प्लास्टिक दाना सिहत नरेन्द्र, पुरन और फिरोज से शामिलाती तौर पर जप्त किया जाना बताया गया है जिसका दोनों पंच साक्षी

7

कोई समर्थन नहीं करते हैं। न ही गिरफ्तारी या मेमोरेण्डम कथन में उनका समर्थन किया है और इस अवस्था में यह भी देखना होगा कि क्या विवेचक की एकल साक्ष्य के आधार पर कोई दस्तावेज प्रमाणित माना जा सकता है या विवेचक की अभिसाक्ष्य से घटना को संदेह से परे प्रमाणित माना जा सकता है।

- उपनिरीक्षक सुरेश शर्मा अ०सा०–६ ने अपने अभिसाक्ष्य में विचाराधीन 16. आरोपीगण के संदर्भ में यह साक्ष्य दी है कि उसे दिनांक 24.10.08 को थाना मालनपुर में ए०एस०आई० के पद पदस्थ रहने के दौरान थाना प्रभारी द्वारा अप०क०–132 / 2008 धारा–394 भा०द०वि० एवं 11 / 13 डकैती अधिनियम की केसडायरी विवेचना हेत् प्राप्त होने पर उसने विवेचना के दौरान उक्त दिनांक को ही आरोपी नरेन्द्र को गवाहों के समक्ष प्र0पी0—3, फिरोज को प्र0पी0—4, एवं पूरन को प्र0पी0-5 के द्वारा गिरफ्तार किया था। तथा उसी दिन आरोपी नरेन्द्र, पूरन और फिरोज खाँ के संयुक्त मेमोरेण्डम कथन धारा—27 साक्ष्य विधान के तहत प्र0पी0—7 का लिया जाना बताते हुए प्र0पी0—8 द्वारा उनके संयुक्त आधिपत्य से निर्गोतिया पैट्रोल पंप गोले का मंदिर ग्वालियर से एक मेटाडोर 407 क्रमांक-एम0पी0-07 जी-4308 उसके अंदर रखे हुए 77 कट्टे प्लास्टिक के दाने भरे हुए प्र0पी0–8 द्वारा जप्त करना बताया है जिसका पंच साक्षी कोई समर्थन नहीं करते हैं और विवेचना के द्वारा दिनांक 24.10.08 को निगोतिया पेट्रोल पंप गोले का मंदिर ग्वालियर में जाकर कार्यवाही किये जाने संबंधी कोई भी रोजनामचासान्हा प्रकरण में पेश नहीं किया है जिससे उक्त विवेचना की कार्यवाही को बल प्राप्त होता हो। उक्त विवेचक ने यह भी स्पष्ट किया है कि फरियादी द्व ारा लिखाई गई एफ0आई0आर0 में आरोपीगण का जिस मोटरसाईकिल से आना बताया गया है उसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक नहीं लिखाया था। जबकि फरियादी मुकेश किरार अपने अभिसाक्ष्य में आरोपीगण का मोटरसाईकिल से मालनपुर में रेन्वेक्सी फैक्ट्री के आगे आकर उसकी मेटाडोर को रोककर लूट करने की कोई बात नहीं बताता है बल्कि उसके द्वारा गोले का मंदिर से पिण्टो पार्क के बीच ग्वालियर में पांच लोगों का मेटाडोर में लिफ्ट मांगकर बैठना अवश्य कहता है जबिक ऐसा कोई कथानक नहीं है। इसलिये कथानक की पृष्टभूमि ही संदेह उत्पन्न करती है।
- 17. विवेचक सुरेश शर्मा अ०सा०—6 ने पैरा—5 में यह स्वीकार किया है कि मोटर मालिक ने बयान देते समय किसी भी आरोपी का नाम नहीं बताया था और वह ड्रायवर के द्वारा आरोपियों के नाम बताना कहता है जबकि ड्रायवर मुकेश किरार अ०सा०—5 ने पुलिस को प्र०पी०—15 का कथन देने से ही इन्कार किया है और उसमें आरोपीगण का नाम बताने से इन्कार करता है। ऐसे में सुरेश शर्मा अ०सा०—6 के अभिसाक्ष्य से प्र०पी०—3 लगायत 8 के दस्तावेज जो कि विचाराधीन आरोपीगण से संबंधित हैं, वे कतई प्रमाणित नहीं होते हैं और उसके अभिसाक्ष्य के आधार पर फरियादी मुकेश किरार के साथ बताई गई लूट की घटना विचाराधीन आरोपी राकेश या उसके किसी साथी के द्वारा कारित किया जाना या कारित करने में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संयुक्त रहना संदेह से परे कतई प्रमाणित नहीं होता है इसलिये आरोपी राकेश के विरुद्ध विरचित आरोप संदिग्ध हैं।

- 18. इस प्रकार से उपरोक्त समग्र सार रूप में किये गये साक्ष्य तथ्य परिस्थितियों के विश्लेषण के आधार पर अभियोजन का मामला पूरी तरह से संदिग्ध है। परिणामस्वरूप आरोपी राकेश को धारा—395 भा0द0वि0 सहपठित धारा—11/13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट 1981 के आरोपों से दोषमुक्त किया गया।
- 19. आरोपी राकेश के जेल वारण्ट पर लाल स्याही से यह टीप लगायी जावे कि आरोपी को इस प्रकरण में दोषमुक्त किया गया है, आरोपी के अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर रिहा किया जावे ।
- 20. प्रकरण में अभी आरोपी फक्की उर्फ रामचित्र गुर्जर फरार है, इसलिये जप्त संपत्ति के संबंध में कोई अंतिम निष्कर्ष नहीं दिया जा रहा है। अतः अभिलेख सुरखित रखा जावे।
- 21. निर्णय की प्रति डी०एम० भिण्ड को भेजी जावे।

दिनांक :11 / 02 / 2016

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया। मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला भिण्ड

(पी.सी. आर्य) विशेष न्यायाधीश डकैती, गोहद जिला मिण्ड